HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1112/2024

Devendra S/o Nanuram, Aged About 21 Years, R/o Ravidas Mohalla Garoth, Police Station Garoth, District Mandsaur (M.p.) (At Present Petitioner Is Confined In Sub Jail, Bhawanimandi).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Om Prakash Kharra, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. C G Chopra, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

31/01/2024

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **439** के अन्तर्गत पुलिस थाना **डग, झालावाड** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**218/22** अपराध अन्तर्गत धारा **302** भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, अभियुक्त के विरूद्ध पूछताछ नोट के अलावा कोई सामग्री अभिलेख पर नहीं है, पूछताछ नोट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.10.22 से अभिरक्षा में है, प्रकरण में परिवादी के बयान हो चुके है, प्रकरण के शेष

विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

हस्तगत मामले में परिवादी कालूलाल द्वारा अपने भांजे अभियुक्त देवेन्द्र के विरूद्ध यह आरोप लगाया है कि परिवादी के भाई बाबूलाल का झगडा घटना से दो माह पहले अभियुक्त से हुआ था। घटना के दिन मृतक घर पर मृत अवस्था में मिला तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उपरोक्त आधार पर अभियुक्त पर संदेह व्यक्त किया है। पूछताछ नोट के अलावा घटनास्थल जो पहले से ही अनुसंधान अधिकारी को ज्ञात था, की तस्दीक अभियुक्त द्वारा करवायी गयी है। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी या पारिस्थितिजन्य साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं अभियुक्त की अभिरक्षा की अवधि, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **देवेन्द्र पुत्र नानूराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान

विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /86